भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1685
सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

श्रमिकों को कौशल और ज्ञान प्रदान करना

1685. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिस्पर्धी वातावरण में श्रमिकों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, सामूहिक प्रयास से उन्हें आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के विशेषकर बिहार के मजदूरों को ऐसे कौशल और ज्ञान का और अधिक लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) सितंबर, 2014 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्लेसमेंट से जुड़ा एक कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 18-45 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी बेरोजगार युवा, जिनमें स्व-रोजगार या वेतन रोजगार करने की इच्छा शक्ति है और जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान हो, वे आरएसईटीआई में प्रशिक्षण ले सकते हैं।

इसके अलावा, सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरी मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर जानकारी इत्यादि जैसी विभिन्न करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित कर रही है जो नौकरी मिलान के लिए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों (कुशल और जानकार नौकरी चाहने वालों सहित) को एक ही मंच पर एक साथ लाती है। यह पोर्टल, नौकरी चाहने वालों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को करियर और डिजिटल कौशल पर एक मुफ्त, स्व-चालित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। दिनांक 15 जुलाई 2023 तक, बिहार राज्य के 24.23 लाख नौकरी चाहने वाले एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****